



सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु

सिद्धार्थनगर-272202 उ०प्र०(मास्त)

Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक- 897 / कु०स०का० / सि०वि०वि० / 2025

दिनांक-31-10-2025

सेवामें,

1. अधिष्ठाता छात्र कल्याण,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय (परिसर) कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय
सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय :- मा० उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति, खण्डपीठ लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 15-09-2025 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-1664/सत्तर-1-2025 दिनांक 30-10-2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (छाया प्रति संलग्न)

अतः उपरोक्त के क्रम में संलग्न पत्र के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- यथोपरि।

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक- / तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

संख्या-1664/सत्र-1-2025

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,

उच्च शिक्षा,
प्रयागराज, उ०प्र०।

3- कुलसचिव,

समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उ०प्र०।

2- कुलसचिव,

समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ०प्र०।

4- कुलसचिव,

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 28 अक्टूबर, 2025

विषय- मा० उच्च न्यायालय, किशोर न्याय समिति, खण्डपीठ लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्ताहार विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 15.09.2025 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-1093003/60-1099/321/2024 दिनांक 18-09-2025 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पत्र में की गयी अपेक्षानुसार अपने से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by
Girijesh Kumar Tyagi
Date: 28-10-2025
19:21:49

(गिरिजेश कुमार त्यागी)

विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-1093003/60-1099/321/2024 दिनांक 18-09-2025 की छायाप्रति

संलग्न कर प्रेषित करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) विशेष सचिव, संस्कृति विभाग उ०प्र० शासन।
- (2) विशेष सचिव, आयुष विभाग उ०प्र० शासन।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by
SANJAY KUMAR DWIVEDI
Date: 29-10-2025
11:36:09
(संजय कुमार द्विवेदी)

अनु सचिव

सं- 2544/सत्प्र-3-2025

मा0 उच्च न्यायालय, किशोर न्याय समिति, खण्डपीठ लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 15.09.2025 को विभिन्न विभागों के साथ सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त:-

संख्या 1664/सत्प्र-1-2025

अवगत कराना है कि मा0 किशोर न्याय समिति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के पत्र दिनांक 09.09.2025 में की गयी अपेक्षा के क्रम में प्रमुख सचिव, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा विभिन्न विभागों के साथ दिनांक 15.09.2025 को कार्यालय कक्ष-824 में बैठक सम्पन्न हुयी।

दिनांक 15.09.2025 को प्रमुख सचिव, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्रीमती संदीप कौर, निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. श्री अवधेश तिवारी, विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. श्री गिरिजेश त्यागी, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री अमरनाथ उपाध्याय, विशेष सचिव, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. श्री गणेश कुमार, निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0।
6. श्री अमित कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग।
7. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, उप निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
8. श्री रित्विक पात्रा, यूनीसेफ।

मा0 अध्यक्ष, किशोर न्याय समिति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में उक्त सम्पन्न बैठक में सम्बन्धित विभागों के साथ विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्देश दिए गए:-

1. बैठक में उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 द्वारा महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में संचालित समस्त गृहों की सूची एवं कानपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय एवं भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के साथ हुए एम.ओ.यू. की प्रति निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

23/9/2025

So-1 / Gony (HIE)
22.09.2025

2. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में संचालित अन्य विश्वविद्यालयों तथा वाराणसी में संचालित बी.एच.यू., काशी विद्यापीठ, आयुष वि.वि., आयुष वाटिका को जोड़ते हुए छात्रों को राजकीय गृहों की क्रियाकलापों से जोड़ा जाये।
3. विश्वविद्यालयों के इन्टर्नशिप, पी.एच.डी. एम.फिल, स्नातकोत्तर के अन्तिम सेमेस्टर इत्यादि के छात्र राजकीय गृहों में निवासरत बच्चों को सामाजिक कार्य, संगीत, नृत्य, रंगमंच, चित्रकला, शिल्पकला, योग एवं साहित्य से जुड़ी कार्यशालाएँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्सव एवं नाटक, नुक्कड़ नाटक, गायन, वादन, संगीत, थियेटर आदि क्रियाकलापों में शिक्षित एवं प्रशिक्षित करेंगे।
4. राजकीय गृहों में निवासरत बच्चों को शिक्षित व प्रशिक्षित करने वाले छात्र-छात्राओं को महिला कल्याण विभाग की ओर से प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
5. प्रदेश में संचालित 27 राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों में आवासित किशोरों की शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु विभागीय संस्था में को NIOS का सेंटर स्थापित करने हेतु समन्वय स्थापित कर अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही उच्च शिक्षा विभाग द्वारा)

6. मा० समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० द्वारा महिला कल्याण विभाग, उ०प्र० के अन्तर्गत संचालित समस्त राजकीय गृहों में अध्यापकों को नियुक्त करना एवं राजकीय गृहों में स्थापित पुस्तकालयों के लिए शिक्षकों की टीम द्वारा किताबों को चिन्हित कराना।
7. राजकीय गृहों में आवासित बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत बच्चों को निजी एवं प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाना।
8. राजकीय गृहों में आवासित बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(C) के अन्तर्गत अनाथ (Orphan) बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु निजी एवं प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाना।
9. राजकीय गृहों में निवासरत बच्चों को ब्रिजकोर्स के अन्तर्गत जोड़ते हुए उच्च स्तर की शिक्षा में जोड़े जाने हेतु कार्यवाही किया जाना।
10. राजकीय गृहों में निवासरत बच्चों को पढ़ाने हेतु बेसिक शिक्षा विभाग से अध्यापकों को तैनात किया गया है, ऐसे नामित शिक्षकों की सूची महिला कल्याण विभाग, उ०प्र० द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० को उपलब्ध करायी जाए।

11. राजकीय गृहों में निवासरत ऐसे बच्चों, जो कक्षा-5 पास कर चुके हैं और कक्षा-6 में प्रवेश कराया जाना है, उन बच्चों को ब्रिजकोर्स के माध्यम से अटल आवासीय, नवोदय, सैनिक स्कूल में प्रवेश दिलाये जाने हेतु प्रवेश परीक्षा हेतु उनकी तैयारी कराया जाना।
12. बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त राजकीय गृहों हेतु अपग्रेडेशन व समिति से स्कूटनी कराते हुए स्वीकृत पुस्तकों (गीता प्रेस, CBT, NBT, SCERT, NCERT) का उम्र के अनुसार चित्रमय, क्लाइमेट चेंज उपलब्ध कराया जायेगा।
13. बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सेवानिवृत्त शिक्षक जो राजकीय गृहों में बच्चों को निःशुल्क एवं अपनी स्वेच्छा से शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, उन्हें सूचीबद्ध कर महिला कल्याण विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
14. बैठक के दौरान यह विषय भी संज्ञान में लाया गया कि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों की तर्ज पर महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत राजकीय बाल गृहों हेतु हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व सामान्य ज्ञान आदि विषयों पर सोशल मीडिया के सब्सक्रिप्शन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाये जिससे गृहों में निवासरत बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में सहायता मिल सके।

(कार्यवाही बेसिक शिक्षा विभाग एवं
निदेशालय महिला कल्याण द्वारा)

15. राजकीय गृहों में निवासरत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु स्पेशल एज्यूकेटर की व्यवस्था (दिव्यांग जनसशक्तिकरण विभाग) द्वारा राजकीय बाल गृहों के लिए वैकल्पिक तौर पर उपलब्ध कराना।
16. मानसित मंदित, मूक बधिर एवं दिव्यांग बच्चों की काउंसलिंग हेतु विशेषज्ञ की आवश्यकता के दृष्टिगत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ/काउन्सलर जो ऐसे बच्चों की काउन्सलिंग कर उनके पुनर्वासन में सहयोग प्रदान कर सके। विशेषज्ञ काउन्सलर अंशकालिक रूप से अथवा आवश्यकता पड़ने पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नामित किये जाने पर जब कोई ऐसा बच्चा बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उसकी काउंसलिंग हेतु उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(कार्यवाही दिव्यांग जनसशक्तिकरण विभाग द्वारा)

17. महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय बाल गृह (शिशु) एवं राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण में निवासरत बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र की

गुणवत्तापूर्ण पोषाहार तथा ई०सी०सी०ई० (Early Childhood Care & Education-ECCE)
की सुविधा से आवश्यकतानुसार बच्चों को लाभान्वित किया जायेगा।

(कार्यवाही बाल विकास एवं पुष्ताहार विभाग द्वारा)

18. प्रदेश में संचालित समस्त राजकीय बाल गृहों की सूची पूर्व पते सहित बेसिक शिक्षा
विभाग, उ०प्र० को उपलब्ध कराया जाना।

(कार्यवाही निदेशालय महिला कल्याण द्वारा)

बैठक में उपरोक्त बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन करने की अपेक्षा के साथ बैठक
सधन्यवाद सम्पन्न हुयी।

Digitally signed by

LEENA JOHRI

Date: 18-09-2025

(लीना जोहरी)

प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

महिला कल्याण अनुभाग-1

संख्या: 1093003/60-1099/321/2024,

लखनऊ दिनांक: 18 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
3. विशेष सचिव, दिव्यांग जनसशक्तिकरण विभाग, उ०प्र० शासन।
4. विशेष सचिव, बाल विकास पुष्ताहार विभाग, उ०प्र० शासन।
5. निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

Digitally signed by

SUDHA VERMA

Date: 18-09-2025

13:19:34

मा० उच्च न्यायालय, किशोर न्याय समिति, खण्डपीठ लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 15.09.2025 को विभिन्न विभागों के साथ सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त:-

अवगत कराना है कि मा० किशोर न्याय समिति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के पत्र दिनांक 09.09.2025 में की गयी अपेक्षा के क्रम में प्रमुख सचिव, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा विभिन्न विभागों के साथ दिनांक 15.09.2025 को कार्यालय कक्ष-824 में बैठक सम्पन्न हुयी।

दिनांक 15.09.2025 को प्रमुख सचिव, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्रीमती संदीप कौर, निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
2. श्री अवधेश तिवारी, विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
3. श्री गिरिजेश त्यागी, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
4. श्री अमरनाथ उपाध्याय, विशेष सचिव, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, उ०प्र० शासन।
5. श्री गणेश कुमार, निदेशक, एस० सी० ई० आर० टी०।
6. श्री अमित कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग।
7. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, उप निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
8. श्री रित्विक पात्रा, यूनीसेफ।

मा० अध्यक्ष, किशोर न्याय समिति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में उक्त सम्पन्न बैठक में सम्बन्धित विभागों के साथ विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्देश दिए गए:-

1. बैठक में उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० द्वारा महिला कल्याण विभाग, उ०प्र० द्वारा प्रदेश में संचालित समस्त गृहों की सूची एवं कानपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय एवं भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के साथ हुए एम.ओ.यू. की प्रति निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र० को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।



Imp.
So-1 / 2025 (HIZ)
22.09.2025

2. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में संचालित अन्य विश्वविद्यालयों तथा वाराणसी में संचालित बी.एच.यू., काशी विद्यापीठ, आयुष वि.वि., आयुष वाटिका को जोड़ते हुए छात्रों को राजकीय गृहों की क्रियाकलापों से जोड़ा जाये।
3. विश्वविद्यालयों के इन्टर्नशिप, पी.एच.डी. एम.फिल, स्नातकोत्तर के अन्तिम सेमेस्टर इत्यादि के छात्र राजकीय गृहों में निवासरत बच्चों को सामाजिक कार्य, संगीत, नृत्य, रंगमंच, चित्रकला, शिल्पकला, योग एवं साहित्य से जुड़ी कार्यशालाएँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्सव एवं नाटक, नुक्कड़ नाटक, गायन, वादन, संगीत, थियेटर आदि क्रियाकलापों में शिक्षित एवं प्रशिक्षित करेंगे।
4. राजकीय गृहों में निवासरत बच्चों को शिक्षित व प्रशिक्षित करने वाले छात्र-छात्राओं को महिला कल्याण विभाग की ओर से प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
5. प्रदेश में संचालित 27 राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों में आवासित किशोरों की शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु विभागीय संस्था में को NIOS का सेन्टर स्थापित करने हेतु समन्वय स्थापित कर अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही उच्च शिक्षा विभाग द्वारा)

6. मा0 समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 द्वारा महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत संचालित समस्त राजकीय गृहों में अध्यापकों को नियुक्त करना एवं राजकीय गृहों में स्थापित पुस्तकालयों के लिए शिक्षकों की टीम द्वारा किताबों को चिन्हित कराना।
7. राजकीय गृहों में आवासित बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत बच्चों को निजी एवं प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाना।
8. राजकीय गृहों में आवासित बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के अन्तर्गत अनाथ (Orphan) बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु निजी एवं प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाना।
9. राजकीय गृहों में निवासरत बच्चों को ब्रिजकोर्स के अन्तर्गत जोड़ते हुए उच्च स्तर की शिक्षा में जोड़े जाने हेतु कार्यवाही किया जाना।
10. राजकीय गृहों में निवासरत बच्चों को पढ़ाने हेतु बेसिक शिक्षा विभाग से अध्यापकों को तैनात किया गया है, ऐसे नामित शिक्षकों की सूची महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाए।

11. राजकीय गृहों में निवासरत ऐसे बच्चों, जो कक्षा-5 पास कर चुके हैं और कक्षा-6 में प्रवेश कराया जाना है, उन बच्चों को ब्रिजकोर्स के माध्यम से अटल आवासीय, नवोदय, सैनिक स्कूल में प्रवेश दिलाये जाने हेतु प्रवेश परीक्षा हेतु उनकी तैयारी कराया जाना।
12. बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त राजकीय गृहों हेतु अपडेटेशन व समिति से स्कूटनी कराते हुए स्वीकृत पुस्तकों (गीता प्रेस, CBT, NBT, SCERT, NCERT) का उम्र के अनुसार चित्रमय, क्लाइमेट चेंज उपलब्ध कराया जायेगा।
13. बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सेवानिवृत्त शिक्षक जो राजकीय गृहों में बच्चों को निःशुल्क एवं अपनी स्वेच्छा से शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, उन्हें सूचीबद्ध कर महिला कल्याण विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
14. बैठक के दौरान यह विषय भी संज्ञान में लाया गया कि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों की तर्ज पर महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत राजकीय बाल गृहों हेतु हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व सामान्य ज्ञान आदि विषयों पर सोशल मीडिया के सब्सक्रिप्शन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाये जिससे गृहों में निवासरत बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में सहायता मिल सके।

(कार्यवाही बेसिक शिक्षा विभाग एवं
निदेशालय महिला कल्याण द्वारा)

15. राजकीय गृहों में निवासरत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु स्पेशल एज्यूकेटर की व्यवस्था (दिव्यांग जनसशक्तिकरण विभाग) द्वारा राजकीय बाल गृहों के लिए वैकल्पिक तौर पर उपलब्ध कराना।
16. मानसित मंदित, मूक बधिर एवं दिव्यांग बच्चों की काउंसलिंग हेतु विशेषज्ञ की आवश्यकता के दृष्टिगत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ/काउन्सलर जो ऐसे बच्चों की काउन्सलिंग कर उनके पुनर्वासन में सहयोग प्रदान कर सके। विशेषज्ञ काउन्सलर अंशकालिक रूप से अथवा आवश्यकता पड़ने पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नामित किये जाने पर जब कोई ऐसा बच्चा बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उसकी काउंसलिंग हेतु उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(कार्यवाही दिव्यांग जनसशक्तिकरण विभाग द्वारा)

17. महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय बाल गृह (शिशु) एवं राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण में निवासरत बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र की

गुणवत्तापूर्ण पोषाहार तथा ई0सी0सी0ई0 (Early Childhood Care & Education-ECCE)
की सुविधा से आवश्यकतानुसार बच्चों को लाभान्वित किया जायेगा।

(कार्यवाही बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा)

18. प्रदेश में संचालित समस्त राजकीय बाल गृहों की सूची पूर्व पते सहित बेसिक शिक्षा
विभाग, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जाना।

(कार्यवाही निदेशालय महिला कल्याण द्वारा)

बैठक में उपरोक्त बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन करने की अपेक्षा के साथ बैठक
सधन्यवाद सम्पन्न हुयी।

Digitally signed by

LEENA JOHRI

Date: 18-09-2025

(लीना जोहरी)

प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

महिला कल्याण अनुभाग-1

संख्या:- 1093003/60-1099/321/2024,

लखनऊ: दिनांक: 18 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष सचिव, दिव्यांग जनसशक्तिकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. विशेष सचिव, बाल विकास पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

Digitally signed by

(सुधा वर्मा)

SUDHA VERMA

Date: 18-09-2025

विशेष सचिव

13:19:34